

प्रेषक,

जे० पी० जोशी,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र - 2
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 20 जून, 2003

विषय:-

हिल ग्रोव स्कूल देहरादून को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिल ग्रोव स्कूल, देहरादून को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत रोरायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे ।
- 6- ही सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

Digitally signed by SATISH CHANDRA CHHABRA
Date: 2024.07.29 08:00:36 +05:30
Reason: reason
Location: location

- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि :-
- (1) भण्डार कक्ष एवं प्रयोगशाला निर्धारित माप के तैयार कर लिये गये हैं।
- (2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किरसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किरसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(जे० पी० जोशी)
अनु सचिव।

संख्या:- 462 (1)/माध्यमिक/2003-तददिनोंकः

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1-निदेशक, माध्यमिक एवं वेसिक शिक्षा,उत्तरांचल,देहरादून।
 - 2-मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल,पौडी।
 - 3-जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून।
 - 4-प्रबन्धक, हिल ग्रोव स्कूल, देहरादून।
 - 5-अनुभागीय पुरितका।

आज्ञा से,

(जे० पी० जोशी)
अनु सचिव।